हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली उपखण्ड अधिकारी ... इन्द्राज ... दर्ज ... संशोधित शिविर दि. 27-2-18 को पेश हो।	

27/2/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि. उपस्थित। मूल प्रकरण के साथ दिनांक 6/3/18 को पेश हो।

6/3/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि. उपस्थित। प्रार्थी अधि. ने संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते नोटिस तामील दिनांक 27-3-18 को पेश हो।

27/3/18 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संस्था द्वारा कार्यस्थगित करने का अनुरोध किया/स्वीकार किया जाता है पत्रावली दिनांक 26/4/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

06.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम बनेडा में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 1121 के **आराजी सख्यां 3038, 3086, 3087, 3107, 3109, 3144 कुल किता 06 रकबा 03—12 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण संख्या 01, 04 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण अधिवक्ता

बहस के दौरान प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01, 04 द्वारा प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात में से बिना विभाजन कराये जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम बनेडा पटवार हल्का बनेडा भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 1121 के **आराजी सख्यां 3038, 3086, 3087, 3107, 3109, 3144 कुल किता 06 रकबा 03–12 बीघा** में **<u>प्रार्थीगण के हक हिस्से तक</u>** में राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 14.12.2015 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01, 04 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कंम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।